8/2/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष द्वारा बहस समाहित की जा चुकी है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट की मुख्य बहस यह रही कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किए बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए एक ही दिन में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि RTA 251 A का प्रार्थना पत्र न्यायालय SDM में जेरेगौर है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किए कि अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए, तकनीकी आधारों पर नहीं। जहां तक सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रश्न है तो अपीलांट को राजस्व कार्मिकों द्वारा जरिये दूरभाष मौके पर बुलाया गया था परन्तु अपीलांट उपस्थित नहीं हुआ इसलिए मौके पर उपस्थित खातेदारों की उपस्थिति में रास्ता खुलवाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 25/4/22 को आदेशिका द्वारा प्रार्थना पत्र (251 RTA) दर्ज रजिस्टर कर जांच हेतु भेजा गया एवं आदेशिका दिनांक 2/5/22 द्वारा अपीलाधीन रास्ता खुलवा दिया गया।

यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251 RTA के प्रार्थना पत्र निस्तारण में प्रक्रियात्मक त्रुटि की है। अपीलांट को नोटिस की सम्यक तामील करवाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना था ताकि वह अपने उज्र/एतराज प्रस्तुत कर सके। तथापि प्रकरण को यदि गुणावगुण के आधार पर देखा जावे तो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

यदि मौका जांच से यह स्थापित हो जाता है कि कोई रास्ता काफि समय/कदीमी रूप से सुखाचार के तहत चालू था और उसे अवरोधित किया गया है तो तहसीलदार का यह कर्तव्य है कि ऐसा रास्ता खुलवाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह रिपोर्ट पटवारी एवं गिरदावर द्वारा 15-20 मौतबिरान की उपस्थिति में तैयार की है। मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन भूमि पर 'काफि वर्षों से रास्ता चालू था परंतु सोमदत्त पुत्र हंसराज द्वारा जुताई करके बंद कर दिया है।' उल्लेखित है। इससे यह प्रकट होता है कि उक्त रास्ता सुखाचार के अधिकार के तहत खुलवाया गया। अपीलांट के मुख्य एतराज सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने बाबत था तो राजस्व कार्मिकों द्वारा दूरभाष पर सूचना दिए जाने पर अपीलांट अपने एतराज जाहिर कर सकता था अथवा मौके पर उपस्थित हो सकता था। अपीलांट ने अपनी अपील में इस बात पर जोर नहीं दिया है कि अपीलाधीन भूमि में रास्ता चालू नहीं था।

अ

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी न करने में प्रक्रियात्मक त्रुटि की है। जिसके लिए संबंधित तहसीलदार को भविष्य में समरी ट्रायल केस में (251 RTA) में प्रक्रियागत कमियां न रखने हेतु चेतावनी दी जावे। गुणावगुण के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विवेचन से अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना काश्तकारों के सुखाधिकार में हस्तक्षेप होगा जोकि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत: अपील, अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Continuation Note Sheet

Diary No.

Scanned with CamScanner